



सत्यमेव जयते



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

फाईल सं. A-47012/35/2022-ADMIN

दिनांक: 21.08.2024

परिपत्र

विषय: चिकित्सा हितलाभ हेतु नवीन विकल्प प्रस्तुत करने हेतु।

मुख्यालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 29.07.2024 के संदर्भ में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह अनुरोध है कि वे अपना **नवीन विकल्प (Fresh Option)** प्रस्तुत करें कि वे चिकित्सा हितलाभ निगम के चिकित्सा संस्थानों से अपेक्षित अंशदान के भुगतान पर प्राप्त करना चाहते हैं अथवा सी.एस. (एम.ए.) नियम, 1944 के अंतर्गत प्राप्त करना चाहते हैं।

सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त विषय पर अपना विकल्प दिनांक **30.09.2024** तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित तिथि तक किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी ने अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया तो यह माना जाएगा कि उन्होंने चिकित्सा हितलाभ के लिए सी.एस.(एम.ए.) नियम, 1944 के विकल्प का चुनाव किया है।

यह पत्र उप निदेशक (प्रभारी) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

उप निदेशक (प्रशासन)

सेवा में,

- सभी कर्मचारी व अधिकारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम।
- सभी कर्मचारी व अधिकारी, शाखा कार्यालय-गुडगांव, धारुहेड़ा, मानेसर एवं डुंडाहेड़ा।
- ई.डी.पी शाखा, उप क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- सूचना पट्ट।